Order Sheet (Subsequent)

Court Name ..... CIN NUMBER .....

Number of Case ..... WS - 24/17 ..... Year .....

Kind of Case ..... स्थायीकरण ..... Versus ..... बंगाली .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
26/11/25	वादी की ओर से प्रार्थीगण रामबेटी, केदार, बृजेश, भवानी, गुड्डी, मनोज, सीमा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश किया। अभी और से अधिवक्ता श्री सुरेश चंद उपाध्याय ने जवाब पेश की। नकल प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। ~~जिन्होंने~~ जवाब पेश नहीं करना चाहा और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की तथा प्रार्थना पत्र पर नो आबजेक्शन किया। इस प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण की प्रति का अवलोकन किया। वादी की मृत्यु दिनांक 7/11/25 को होना बताया है जिसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण की प्रति पेश हुई है। ~~प्रति~~ प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण को वादी का वारिसान होना बताया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई आक्षेप इस संबंध में नहीं किया है और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण को वादी मृतक के तौर पर लिखा जाता है। वादी नस्ती में आगे की शीर्षक में मृतक अंकित हो। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। आगे की कार्रवाई अंतिम में बहस। पक्षकारान अधिवक्ता ने एक अवसर ~~और~~ पुनः बहस में चाहा। इस अवसर दिया गया। मजावजी वास्ते बहस अंतिम निर्णय दिनांक 11/12/25 को पेश हो।	

परिष्ठ सिविल न्यायाधीश
कक्षा-03, बाड़ी जिला धौलपुर (राज.)